

वित्त वधियक 2020

प्रीलिमिंस के लिये

वित्त वधियक, धन वधियक, अनवासी भारतीय, उदारीकृत प्रेषण योजना

मेन्स के लिये:

सार्वजनिक वित्त से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) के खतरे के बीच लोकसभा ने सर्वसम्मति से वित्त वधियक, 2020 (Finance Bill, 2020) को पारित कर दिया।

वित्त वधियक 2020 से संबंधित प्रमुख बंदी

- वित्त वधियक 2020 के अनुसार, भारत में अनवासी भारतीयों (Non-Resident Indians-NRIs) पर 15 लाख रूपए तक की आय सीमा तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह सीमा तब लागू होगी जब वह वह व्यक्ति 120 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहकर एक डीमड रेजिडेंट (Deemed Resident) के रूप में अर्हता प्राप्त कर लेता है।
 - इस प्रकार डीमड रेजिडेंट पर कर चुकाने की ज़िम्मेदारी केवल भारत में न्यतिरति व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे के संबंध में होगी और वह भी केवल तब जब ऐसी आय 15 लाख रुपए से अधिक हो।
 - ध्यातव्य है कि 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किये गए बजट में वित्त मंत्री नरिमला सीतारमण ने आवासीय स्थिति (Residential Status) के आधार पर व्यक्तियों की कर-क्षमता का निर्धारण करने के लिये मापदंड और अवधि को संशोधित किया था। संशोधित नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण नवासी (Resident) माना जाएगा, जब वह पछिले वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह अवधिपूर्व में 182 दिन थी।
- वित्त वधियक 2020 के अनुसार, यदि वित्तीय संस्थानों से शक्ति के लिये धन उधार लिया जाता है और उसे उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme-LRS) के माध्यम से विदेश में हस्तांतरित किया जाता है तो धन के स्रोत पर लगने वाले कर संग्रह (Tax Collected at Source-TCS) की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

उदारीकृत प्रेषण योजना

(Liberalised Remittance Scheme-LRS)

- उदारीकृत प्रेषण योजना भारत के नवासियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दूसरे देश में निवेश तथा व्यय करने हेतु एक निश्चित राशि को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करती है।
- यह योजना RBI के तत्वावधान में फरवरी, 2004 में 25,000 डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गई थी।
- यदि किसी व्यक्ति ने बीते तीन वर्षों में आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो उसके द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस (TDS) लागू किया जाएगा। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी करता है तो वह 5 प्रतिशत टीडीएस (TDS) हेतु उत्तरदायी होगा।
 - TDS की संकल्पना के अनुसार एक व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को निरिदषिट प्रकार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, को आय के स्रोत पर कर कटौती करनी होगी तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा।
- वित्त वधियक 2020 के तहत सरकार ने ग्लोबल पेंशन फंड (Global Pension Fund) को भी कर छूट की सीमा में शामिल कर दिया है।
 - इससे पूर्व सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संप्रभु धन अधिद्वारा बुनियादी ढांचे में किये गए निवेश पर पूंजीगत लाभ, संयोजन

और ब्याज पर 100 प्रतिशत कर छूट की घोषणा की थी।

- लाभांश आय पर 15 प्रतिशत का अधभार लगाया गया है।
- सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty) को क्रमशः 18 रुपए और 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह पेट्रोल के लिये 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिये 4 रुपए प्रति लीटर था।

वित्त वधियक (Finance Bill)

- केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के पश्चात् लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वधियक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर प्रभाव डालता है।
- वित्त वधियक में उन सभी वधियकों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त से संबंधित मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे- सरकार के व्यय अथवा सरकार के राजस्व से संबंधित व्यय।
- किसी भी कर को प्रत्यारोपित करने अथवा उसमें परिवर्तन करने जैसे वधियक वित्त वधियक के सामान्य वधियक हैं। वित्त वधियक मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं:
 - धन वधियक - अनुच्छेद 110
 - वित्त वधियक (I) - अनुच्छेद 117 (1)
 - वित्त वधियक (II) - अनुच्छेद 117 (2)
- सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक धन वधियक वित्त वधियक होता है, कति प्रत्येक वित्त वधियक धन वधियक नहीं होता।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliament-passes-amendments-to-finance-act>

